

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 449/2024

अनवान : -

1. भादरराम पुत्र देवी राम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील भादरराम पुत्र देवी राम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. सुरेन्द्र पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त0  
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी  
पैराकार राज


निर्णय


दिनांक: 02/09/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 89/90 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.1380 है0 भूमि में से 316/569 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

विवादित भूमि वादी ने जरिये बयनामा दिनांक 16.01.2024 को प्रतिवादी नं. 1 से खरीद की थी जो उप पंजीयन नोहर से दिनांक 18.01.2024 को रजिस्टर्ड है। विवादित भूमि खरीद के समय से लेकर अब तक लगातार वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा खरीद के समय से रकम राज अदा करता आ रहा है।

रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 89/90 के प0 नं0 318/380 (29) के किला नं. 5, 6 की 0.506 है0, 15, 16 की 0.506 है0, 25/1 की 0.1260 है0 के कुल किता 5 की तादादी 1.1380 है0 भूमि में से 316/569 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार था प्रतिवादी नं. 1 ने उपरोक्त भूमि में से जरिये बयनामा दिनांक 16.01.2024 को 0.0506 है0 भूमि वादी को बेचान कर दिया लेकिन उक्त भूमि का वादी के नाम इन्तकाल दर्ज नहीं हुआ जिससे वादी के खातेदारी हकूक का हनन होता है इसलिए वादी विवादित भूमि रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 89/90 के प0 नं0 318/380 (29) के किला नं. 5, 6 की 0.506 है0, 15, 16 की 0.506 है0, 25/1 की 0.1260 है0 के कुल किता 5 की तादादी 1.1380 है0 भूमि के में से 316/569 हिस्सा में से 0.0506 हैक्टेयर भूमि अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल  ल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, चित्रप्रति बैयनामा दिनांक 18.01.2024 आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि विवादित भूमि वादी ने जरिये बयनामा दिनांक 16.01.2024 को प्रतिवादी नं. 1 से खरीद की थी जो उप पंजीयन नोहर से दिनांक 18.01.2024 को रजिस्टर्ड है। विवादित भूमि खरीद के समय से लेकर अब तक लगातार वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा खरीद के समय से रकम राज अदा करता आ रहा है। रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 89/90 के प० नं० 318/380 (29) के किला नं. 5, 6 की 0.506 है०, 15, 16 की 0.506 है०, 25/1 की 0.1260 है० के कुल किता 5 की तादादी 1.1380 है० भूमि में से 316/569 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार था प्रतिवादी नं. 1 ने उपरोक्त भूमि में से जरिये बैयनामा दिनांक 16.01.2024 को 0.0506 है० भूमि वादी को बेचान कर दिया लेकिन उक्त भूमि का वादी के नाम इन्तकाल दर्ज नहीं हुआ जिससे वादी के खातेदारी हकूक का हनन होता है इसलिए वादी विवादित भूमि रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 89/90 के प० नं० 318/380 (29) के किला नं. 5, 6 की 0.506 है०, 15, 16 की 0.506 है०, 25/1 की 0.1260 है० के कुल किता 5 की तादादी 1.1380 है० भूमि के में से 316/569 हिस्सा में से 0.0506 हैक्टेयर भूमि अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 13 केएनएन तहसील

अ.  
अधिवक्ता अधिकारी  
नोहर

नोहर जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 89/90 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.1380 है० भूमि में से 316/569 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वादी ने जरिये बयनामा दिनांक 16.01.2024 को प्रतिवादी नं. 1 से खरीद की थी जो उप पंजीयन नोहर से दिनांक 18.01.2024 को रजिस्टर्ड है। विवादित भूमि खरीद के समय से लेकर अब तक लगातार वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा खरीद के समय से रकम राज अदा करता आ रहा है। रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 89/90 के प० नं० 318/380 (29) के किला नं. 5, 6 की 0.506 है०, 15, 16 की 0.506 है०, 25/1 की 0.1260 है० के कुल किता 5 की तादादी 1.1380 है० भूमि में से 316/569 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार था प्रतिवादी नं. 1 ने उपरोक्त भूमि में से जरिये बैयनामा दिनांक 16.01.2024 को 0.0506 है० भूमि वादी को बेचान कर दिया लेकिन उक्त भूमि का वादी के नाम इन्तकाल दर्ज नहीं हुआ जिससे वादी के खातेदारी हकूक का हनन होता है इसलिए वादी विवादित भूमि रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 89/90 के प० नं० 318/380 (29) के किला नं. 5, 6 की 0.506 है०, 15, 16 की 0.506 है०, 25/1 की 0.1260 है० के कुल किता 5 की तादादी 1.1380 है० भूमि के में से 316/569 हिस्सा में से 0.0506 हैक्टेयर भूमि अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी स० 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 89/90 के प० नं० 318/380 (29) के किला नं. 5, 6 की 0.506 है०, 15, 16 की 0.506 है०, 25/1 की 0.1260 है० के कुल किता 5 की तादादी 1.1380 है० भूमि में 0.0506 हैक्टेयर भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष भूमि यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/9/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*al*  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 449/2024

अनवान : -

1. भादरराम पुत्र देवी राम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील भादरराम पुत्र देवी राम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

- वादी

बनाम

1. सुरेन्द्र पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 449 सन 2024 निर्णय दिनांक 02/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 89/90 के प0 नं0 318/380 (29) के किला नं. 5, 6 की 0.506 है0, 15, 16 की 0.506 है0, 25/1 की 0.1260 है0 के कुल किता 5 की तादादी 1.1380 है0 भूमि में 0.0506 हैक्टेयर भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष भूमि यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/9/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर